

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 16(1)साप्र/2/18 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 11-07-2018

—: आदेश :—

श्रीमती कमलेश गुप्ता, अध्यापिका द्वितीय श्रेणी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाँधीनगर, जयपुर को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयता संख्या 80/2018 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2032 है, के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधान अन्तर्गत आउट ऑफ टर्न द्वितीय श्रेणी का राजकीय आवास संख्या गा/40, गाँधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टन किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवण्टन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवण्टन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवण्टन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवण्टन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवण्टन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।

8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.05.2018 द्वारा श्री रामकुमार मीणा, निजी सचिव को राजकीय आवास संख्या गा/40, गाँधीनगर आवण्टित किया गया था। श्री मीणा द्वारा उक्त आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण इनका आवण्टन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हूँ
(डॉ. पी.डी. पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आई.डी. संख्या 208/एम/जीएडी/18 दिनांक 10.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाँधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि ते किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
7. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गाँधीनगर जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
12. श्रीमती कमलेश गुप्ता, अध्यापिका द्वितीय श्रेणी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाँधीनगर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करें।
13. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव 11/7/18

२

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी / विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाइल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर